राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5835/2022

केशर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा (माध्यमिक) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समसा), नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.11.2022
आदेश की दिनांक : 02.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मवीर ठोलिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 14.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को बहाल कर यथावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोडास कुचामन सिटी, नागौर में कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पीईईओ एवं प्रधानाचार्य (निलम्बनाधीन) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोडास कुचामन सिटी, नागौर में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने जा रहा है। अपीलार्थी को एक ही वर्ष में कई बार स्थानान्तरण किया गया। आदेश दिनांक 25.03.2022 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, जिसको अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती दी। तदुपरान्त अपीलार्थी को अधिकरण के आदेश की पालना में दिनांक 09.04.2022 को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कराया। स्थानान्तरण पर लगे प्रतिबंध के बावजूद अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.06.2022 के द्वारा टोडास कुचामन सिटी, नागौर से दौलतपुरा, डीडवाना स्थानान्तरण किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 27.06.2022 को कार्यग्रहण किया और दिनांक 28.06.2022 को पुनः प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का दौलतपुरा, डीडवाना से शिवाना, बाड़मेर स्थानान्तरण कर दिया,

जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9847/2022 प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय ने दिनांक 23.06.2022 से पूर्व अपीलार्थी जहां कार्यरत था, वहीं पर टोडास कुचामन सिटी, नागौर में कार्य करने का आदेश दिया। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेल कब्बडी टीम ब्लॉक स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर के खिलाड़ियों के नाम का निर्देशानुसार पंजीयन किया गया, जिसमें लगभग 29 लाख खिलाड़ी पंजीकृत किए गए और ग्रामीण ओलम्पिक खेल आयोजित किए गए। अपीलार्थी को दिनांक 29.09.2022 को कारण बताओ नोटिस प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिया गया, जिसमें यह उल्लेखित किया गया कि ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाडी उस ग्राम पंचायत में आने वाली राजस्व गांव के ही प्रतियोगी खिलाडी होने चाहिए अन्यत्र जिले के खिलाडी भाग लेने हेतु पात्र नहीं हैं, परंतु विभागीय दिशा–निर्देशों की अवहेलना करते हुए सीकर जिले के खिलाडियों का चयन किया गया, जो नियम विरूद्ध है, जिसके क्रम में अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसका जवाब अपीलार्थी ने दिनांक 06.10.2022 को प्रस्तुत किया। उनका कथन है कि जो समिति उक्त आयोजन से संबंधित गठित की गई उसमें अपीलार्थी को सदस्य नहीं बनाया गया और दिशा–निर्देश भी अपीलार्थी को नहीं भेजे गए, इसलिए अपीलार्थी मात्र ही इस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने बिना किसी कारण के अपीलार्थी को गलत ठहराते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही कर राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 14.10.2022 के द्वारा निलंबित कर दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों के आधार पर अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 14.10.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को बहाल किए जाने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी द्वारा ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में विभागीय दिशा–निर्देशों की अवहेलना करते हुए ओलम्पिक खेलों में नियम विरूद्ध कार्य करने के कारण आदेश दिनांक 14.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करते हुए राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 की अनुपालना में ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन समस्त ग्राम पंचायतों पर किया गया। टोडास ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में ब्लॉक स्तर पर चयनित टीम के प्रतिभागी/खिलाडी सीकर जिले के पाए गए जबकि राजस्व गांव के ही खिलाडी होने चाहिए थे। परंतु अपीलार्थी द्वारा ग्रामीण ओलम्पिक खेलों के संबंध में विभागीय दिशा–निर्देशों की अवहेलना करते हुए सीकर जिले के प्रतिभागियो/खिलाडियों का नियम विरूद्ध चयन किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में जिला स्तर से किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन नहीं दिया गया और स्वयं के स्तर से ही अन्य जिले के खिलाडियों का चयन कर घोर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही कर नियमानुसार आलोच्य आदेश जारी कर निलंबित किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में पीईईओ एवं प्रधानाचार्य (निलम्बनाधीन) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टोडास कुचामन सिटी, नागौर में कार्यरत है। माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2021–22 की अनुपालना में ग्रामीण ओलम्पिक खेलों का आयोजन समस्त ग्राम पंचायतों पर किया गया। टोडास ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में ब्लॉक स्तर पर चयनित टीम के प्रतिभागी/खिलाडी सीकर जिले के पाए गए जबकि राजस्व गांव के ही खिलाडी होने चाहिए थे। परंतु अपीलार्थी द्वारा ग्रामीण ओलम्पिक खेलों के संबंध में विभागीय दिशा–निर्देशों की अवहेलना करते हुए सीकर जिले के प्रतिभागियो/खिलाडियों का नियम विरूद्ध चयन किया गया। जबकि अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में जिला स्तर से किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन नहीं लिया गया और स्वयं के स्तर से ही अन्य जिले के खिलाडियों का चयन कर घोर लापरवाही बरती गई। जहां तक अपीलार्थी को नियम विरूद्ध निलंबित किए जाने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्राप्त सक्षम स्तर पर गठित की गई समिति से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर एवं अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई शिकायत तथा ग्रामीण ओलम्पिक खेल के आयोजन के समय खिलाडियों का पंजीकरण करते वक्त अपीलार्थी द्वारा की गई लापरवाही से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण

निष्ठा एवं ईमानदारी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी को निलंबित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना परिलक्षित नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 09.02.2023 की पुष्टि कर प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य